भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3729
जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
27अग्रहायण, 1946 (शक)

विशेष आर्थिक क्षेत्र

3729.श्री हमदुल्ला सईदः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में विशेषज्ञता वाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिएन्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता में कोई संशोधन किया है;
(ख) देश में विशिष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए प्रचालित एसईजेड की कुल संख्या कितनी है;और
(ग) सरकार द्वारा इन एसईजेड में निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उनका देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क): 17 दिसंबर , 2019कोएसईजेडनियम, 2006 मेंकिएगएसंशोधनकेअनुसार, सूचनाप्रौद्योगिकीयासूचनाप्रौद्योगिकीसक्षमसेवाओं, बायोटेकयास्वास्थ्य (अस्पतालकेअलावा) सेवाकेलिएविशेषआर्थिकक्षेत्रकेअलावाकिसीविशेषआर्थिकक्षेत्रयामुक्तव्यापारभंडारणक्षेत्रकीस्थापनाकेलिए न्यूनतमभूमिक्षेत्रकीआवश्यकतापचासहेक्टेयरयाउससेअधिककाएकसन्निहितभूमिक्षेत्रहै। यदिअसम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचलप्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचलप्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, गोवाराज्योंअथवासंघराज्यक्षेत्रमेंविशेषआर्थिकक्षेत्रस्थापितकरनेकाप्रस्तावहै, तोअपेक्षितन्यूनतमक्षेत्रपच्चीसहेक्टेयरअथवाइससेअधिकहै।

सूचनाप्रौद्योगिकीयासूचनाप्रौद्योगिकीसक्षमसेवाओं, बायोटेकयास्वास्थ्य (अस्पतालकेअलावा) सेवाकेलिएविशेषआर्थिकक्षेत्रस्थापितकरनेकेलिएकोईन्यूनतमभूमिक्षेत्रकीआवश्यकतानहींहै। शहरोंकीश्रेणीकेआधारपरन्यूनतमनिर्मितप्रसंस्करणक्षेत्रकीआवश्यकतानिम्नलिखिततालिकामेंदर्शाईगईहै:

क्रमसं.	शहरोंकीश्रेणियाँ	अपेक्षितन्यूनतमनिर्मितक्षेत्र
1	श्रेणी 'क'	50,000 वर्गमीटर.
2	श्रेणी 'ख'	25,000 वर्गमीटर.
3	श्रेणी 'ग'	15,000 वर्गमीटर.

(ख):वर्तमानमें, 370 अधिसूचितविशेषआर्थिकक्षेत्र (एसईजेड) हैंजिनमें 229 सूचनाप्रौद्योगिकीयासूचनाप्रौद्योगिकीसक्षमसेवाएं (आईटी/आईटीईएस) एसईजेडशामिलहैं। कुल 370 एसईजेडोंमेंसे 168 आईटी/आईटीईएसएसईजेडोंसहित 278 एसईजेडप्रचालनरतहैं।

(ग):एसईजेडसुधारएकसततप्रक्रियाहैऔरएसईजेडकीनीतिएवंप्रचालनात्मकढांचेपरहितधारकोंसेप्राप्तइन पुट/सुझावोंकेआधारपर, सरकारनियमितरूपसेनिवेशआकर्षितकरने, एसईजेडअधिनियम/नियमावलीकेसुचारूऔरप्रभावीकार्यान्वयनकीसुविधाप्रदानकरने, आउटरीचगतिविधियोंकेसंचालनसहितआवश्यकप्रतिउपायकरतीहै। पिछले 5 वर्षोंकेदौरान 17 आईटी/आईटीईएसएसईजेडोंसहितदेशमें 32 एसईजेडोंकोअधिसूचितकियागयाहै।इसकेअलावा, पिछले 5 वर्षोंकेदौरानआईटी/आईटीईएसएसईजेडसेनिर्यातमेंलगातारदोअंकोंकीवृद्धिहुईहै, जोनिम्नानुसारहै:

वर्ष	आईटी/आईटीईएसएसईजेडसेनिर्यात(मूल्यकरोड़रुपएमें)	% मेंवृद्धिदर (पिछलेवर्षकीतुलनामें)
2019 - 2020	4,74,259	26%
2020 - 2021	5,20,207	10%
2021 - 2022	6,07,265	17%
2022 - 2023	7,75,584	28%
2023 - 2024	8,86,999	14%

****